प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/220382/AMR/AMROHA/1921/CFO
दिनांक : 29-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **THE AARYANS** पता **-,NH-09,JOYA** तहसील **- AMROHA** प्लाट एरिया **5305 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5246.03** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
THE AARYANS	4	1	12.36 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **THE AARYANS** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-10-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-10-2026** से **05-10-2031** तक **5** वर्षो के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **THE AARYANS** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **THE AARYANS** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : Fsso श्री अनुराग तोमर द्वारा अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसएसओ कि संस्तुति एवं क्वेरी आख्या के अनुसार प्रश्नगत भवन बेसमेन्ट से तृतीयतल तक निर्मित है।। बेसमेन्ट में शैक्षिक कार्य पूर्णतः वर्जित होगा, बेसमेन्ट का प्रयोग नियमानुसार किया जाय। भवन में उपलब्ध कार्यशील अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखते हुए प्रशिक्षित स्टाफ रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/अधिभोगी की होगी। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्नि0 व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे। सत्ताप्राधिकारी की शर्तो का उल्लघंन होता है, तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय। विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है,संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-10-2026
स्थान : AMROHA

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KRISHNA KANT OJHA

66E4805FBAC646EDE251B5592A2382B8FD232828

06-10-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Scanned with OKEN Scanner